सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 04, शनिवार, *शाके* 1947- जनवरी 24, 2026

Magha 04, Saturday, Saka 1947- January 24, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 13, 2026

संख्या जविप्रा/उपा/जोन-10/2025/डी-65 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र मे स्थित राजस्व ग्राम नागल सुसावतान तहसील आमेर खसरा संख्या 543 के फार्म हाउस एकल पटटा भूखण्ड क्षेत्रफल 31500 वर्गमीटर भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ईकोलोजिकल, मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना-13 के अनुसार U2 (LIZ) दर्शाया गया है, का फार्म हाउस से रिसोर्ट भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने बाबत् अधिसूचना दिनांक 18.06.2025 द्वारा आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुए। प्रकरण जविप्रा स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 40वी बैठक दिनांक 23.09.2025 व 44वी बैठक दिनांक 02.12.2025 मे रखा जाकर भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

<u>उपान्तरण</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जविप्रा क्षेत्र मे स्थित राजस्व ग्राम नागल सुसावतान तहसील आमेर खसरा संख्या 543 के फार्म हाउस एकल पटटा भूखण्ड क्षेत्रफल. 31500 वर्गमीटर भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ईकोलोजिकल, मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना-13 के अनुसार U2 (LIZ) दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण रिसोर्ट प्रयोजनार्थ किया जाता है।
यह अधिसूचना आज दिनांक 13/01/2026 को जारी की गई है।

निशान्त जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।